कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1449 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22 अगस्त, 2026 को दोहपर 12:00 बजे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री मनोज रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
2. श्री सुलेमान अंसारी, प्रदेश सचिव/प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
3. श्री राजकुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
4. श्री अनुज गोयल, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
5. श्री सतेन्द्र, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
6. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
7. श्री सतेन्द्र चोपडा, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
8. श्री अनन्त आकाश, सचिव/प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी)।
9. श्री श्याम बाबू पाण्डेय, प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी।

सर्वप्रथम अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत दावों एवं आपत्तियों की अवधि में फॉर्म–6 के 1,43,466, फॉर्म–7 के 96,056 तथा फॉर्म–8 के 50,930, कुल 2,90,452 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक फॉर्म–6 जनपद देहरादून, फॉर्म–7 जनपद ऊधमसिंह नगर तथा फॉर्म–8 जनपद देहरादून से प्राप्त हुए हैं।

बैठक में अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कुल लगभग 71 लाख मतदाताओं में से अनमैप्ड एवं विसंगति वाले लगभग 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 15 लाख से अधिक नोटिसों की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है, जबकि शेष नोटिसों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही गतिमान है। यह भी स्पष्ट किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि अनमैप्ड एवं विसंगति वाले मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 5,50,000 अनमैप्ड मतदाता सम्मिलित हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इनके द्वारा जनपदों में संचालित पुनरीक्षण कार्यों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन हो तथा पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने और अपात्र/डुप्लीकेट प्रविष्टियों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित हो।

बैठक में अवगत कराया गया कि यदि किसी मतदान स्थल पर किसी एक व्यक्ति द्वारा 5 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जाती हैं अथवा किसी एक मतदान स्थल पर कुल मतदाताओं के सापेक्ष 2 प्रतिशत से अधिक आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो ऐसी आपत्तियों की जांच एवं सत्यापन ईआरओ (Electoral Registration Officer) द्वारा किया जायेगा।

बैठक में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा ऐसे व्यक्तियों के संबंध में प्रश्न उठाया गया जो उच्च स्तर के अधिकारियों/व्यक्तियों के आवासों पर कार्य करते हैं, परन्तु उनके नाम वर्तमान

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण–2026, दावे/आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 22 अगस्त, 2026 को दोपहर 12:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	Satyendra Singh	B.S.P.	9997183418 9411101880		[signature]
2	Anil Goyal	BJP	9149309060	anildda1983@gmail.com	[signature]
3	Raj Kumar [illegible]	BSP	9412976332		[signature]
4	Manoj Rawat	INC	8393039229		[signature]
5	अनुपमा अग्रवाल		9897144446		[signature]
6	Satendra Chahar	B.S.P.	9368689368		[signature]
7	[illegible]	CPI(M)	9410365899		[signature]
8	[illegible]	~~बसपा~~ B.S.P	9412059284		[signature]
9	Shyam Babu Pandey	आम आदमी पार्टी	9411110605		[signature]
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की राजनैतिक दलों के साथ बैठक (22 अगस्त 2026)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की राजनैतिक दलों के साथ बैठक (22 अगस्त 2026)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की राजनैतिक दलों के साथ बैठक (22 अगस्त 2026)